



## कार्यालय प्रभागीय बनाधिकारी, त्रिशूलपूर्वी बन प्रभाग, छत्तीसगढ़ी

श्रीशमशाय तमा परिसर, जेल रोड, भीरामगढ़, उल्लापी, निला नीपीताल  
E-mail : dfote@rediffmail.com, Phone: 0946-254309, Fax: 0946-250298

पत्रांक

2176 / 12-1

हल्द्वानी, दिनांक

21-12-2020

सेवा में,

प्रकाश भाकुनी

जोनल इन्वार्ज कुमाऊँ

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

मो० न०— 7017977689

विषय:- सुरई एवं खटीमा रेन्ज के अन्तर्गत 4.90 किमी० में 0.041 हेक्टर मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु वन भूमि हस्तान्तरित का प्रस्ताव।

संदर्भ:- आपका पत्रांक दि० 10.11.2020।

महोदय,

आपके द्वारा खटीमा-बकुलिया 0.041 हेक्टर वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव 4 प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। प्रस्ताव के अवलोकन करने पर यह पाया गया कि प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत नहीं बनाया गया है। प्रस्ताव में विषय सूची लगाई गयी है, विषय सूची के अनुसार प्रपत्र भी संलग्न नहीं है तथा पृष्ठ संख्या भी अंकित नहीं की गई है। ऑप्टिकल फाइबर बिछाये जाने हेतु आरक्षित वन भूमि प्रभावित होने पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रपत्रों की 1 से 34 प्रपत्र प्रस्ताव में संलग्न किया जाना है। प्रस्ताव में संलग्न किये जाने वाले प्रपत्रों की सूची सुलभ संदर्भ हेतु इस प्रत्र के साथ संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि संलग्न सूची अनुसार प्रस्ताव तैयार कर 6 प्रतियों में मूल रूप से इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें। आपके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में संलग्न किये गये अपूर्ण प्रस्ताव की 1 प्रति भी मूल रूप में प्रपत्र संलग्न है अन्य 3 छाया प्रतियां प्रस्ताव में संलग्न किये गये हैं। अतः उपरोक्तानुसार पूर्ण प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें। ताकि प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्न— उपरोक्तानुसार प्रस्ताव 4 प्रति।

भवदीय,

(संदीप कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी

तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

ओ० ८६.पी.६५ प्रस्ताव में निम्नानुग्रह प्रभाव किये जाने हैं।

क्र.सं.	प्रपत्र
1	फैवट सीट।
2	प्रतिवेदन।
3	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र।
4	परियोजना की प्रशासनिक एंव वित्तिय खीकृति।
5	राग्रहित निरीक्षण रिपोर्ट।
6	प्रभागीय वनाधिकारी की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट (SIR)
7	प्रस्तावित परियोजना का 1:50,000 पैमाने का टोपोशीट मानचित्र।
8	प्रस्तावित परियोजना का भू-सन्दर्भित डिजीटल मैप।
9	वैकल्पिक समरेख तलाशे जाने एंव उन्हें निररत किये जाने का कारण मय तुलनात्मक विवरण।
10	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मॉग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र।
11	प्रभावित भूमि का लैण्ड शेड्यूल।
12	परियोजना की लम्बाई एंव चौड़ाई का विवरण।
13	बार चार्ट।
14	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण-पत्र।
15	प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार/व्यासवार विवरण एंव मूल्यांकन/ सारांश/वास्तविक रूप से काटे जाने वाले पेंड।
16	बांज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का प्रमाण-पत्र।
17	वृक्ष प्रभावित न होने का प्रमाण पत्र।
→ 18	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने का प्रमाण-पत्र।
→ 19	परियोजना स्थल की राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण-पत्र।
→ 20	टास्क फोर्स की संस्तुतियां मान्य होने का प्रमाण-पत्र।
21	मानक शर्त मान्य होने का प्रमाण-पत्र।
→ 22	प्रस्तावित स्थल धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र।
→ 23	वन्य जीवों एंव वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र।
24	परियोजना निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण पत्र।
25	लाभान्वित होने वाले ग्रामों/जनसंख्या/परिवारों के विवरण का प्रमाण-पत्र।
26	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वन भूमि का वर्तमान मूल्य का प्रमाण-पत्र।
27	रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु दसवर्षीय योजना का प्राकलन एंव देय धनराशि का प्रमाण पत्र।
28	काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में दस गुना वृक्षारोपण हेतु दसवर्षीय योजना का प्राकलन एंव देय धनराशि का प्रमाण पत्र।
→ 29	मक डिस्पोजल योजना से सम्बन्धित प्रमाण पत्र।
30	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन।
31	एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुयी धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र।
32	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र।
33	प्रस्ताव को भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करना व उक्त प्रस्ताव की दो सी०डी० पी०डी०एफ० फारमेट में उपलब्ध कराना।
34	प्रस्ताव ऑनलाइन किये जाने वाले अधिकारी/कर्मचारी के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र।